RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

विश्व व्यापार संगठन (WTO) और भारतीय कृषि

[1]सोनी कुमारी, [2]प्रोफेसर जे०पी०सिंह

[1]शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
[2]पर्यवेक्षक

परिचय(Introduction)–

अप्रैल 1994 में ऊरग्वाय दौर की समाप्ति होने पर और समझौते पश्चात हस्ताक्षर होने पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए मार्ग प्रश्स्त हो गया। इस समझौते पर GATTके सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन (WTO)की स्थापना हो गई। भारत ने WTOकी स्थापना से संबंधित समझौते को 30 दिसंबर 1994 को अपनी सहमति दे दी। वर्तमान समय में WTOके 164 देश सदस्य है। WTOएक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका मुख्य कार्य यह निश्चित करना है कि वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापर, सेवाओं का अर्न्ताष्ट्रीय व्यापार, विदशी निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार इत्यादि निश्चित नियमों के आधार पर निर्धारित हो। WTOका मुख्यालय GATTकी भांति जेनेवा में ही है।

कृषि पर समझौता (एओए) विश्व व्यापार संगठन की एक अंतराष्ट्रीय संधि है जिस पर उरुग्वे दौर के दौरान विचार हुआ एक जनवरी 1995 को ही यह अस्तित्व में आ गया। हालांकि बाद के वर्षों में इस पर दुनिया दो घड़ो में बंटती नजर आई। विशेषकर इस सदी के पहले दशक में जब विकसित व विकासशील देश आमने–सामने आ गए।इस समझौते को लेकर जहाँ अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान एक तरफ तथा भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेन्टीना, मैक्सिको, अफ्रीका देश दूसरी तरफ है विकासशील देश जहाँ विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को दी जा रही सब्सिडी को घटाने की मांग करते है तो विकसित देश अपने उत्पादों के लिए अधिक बाजार की मांग कर रहे हैं।

अध्ययन के उद्देश्य–

- 1995 के बाद से भारत के कृषि वस्तुओं के आयात और निर्यात का विश्लेषण करना।
- कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का विश्लेषण, विशेष रूप से सब्सिडी प्रावधान जैसे कि हरे रंग की बॉक्स, एम्बर बॉक्स, नीले बॉक्स आदि।
- कृषि निर्यात की जांच भारत विश्व व्यापार संगठन के मंत्रालयीन स्तर के विभिन्न दौर सम्मेलन द्वारा सुझाए गए प्रावधानों के अनुरूप है।

अनुसंधान क्रियाविधि (Research Methodology)–

यह अध्ययन विश्लेषण के उद्देश्य के लिए माध्यमिक डेटा पर आधारित है। आंकड़ों का मुख्य स्रोत डब्ल्यूटीओ वार्षिक रिपोर्ट जिनेवा, विभिन्न विश्व बैंक अध्ययन, सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण है। कृषि और कृषि मंत्रालय, विश्व विकास रिपोर्ट, भारत में अनेक विभाग द्वारा प्रकाशित कृषि सांख्यिकी आंकड़े द्वारा लिया गया है।

साहित्य समीक्षा (Review Literature)–

- अशोक गुलाती और जीएस बल्ला का मानना है कि भारत कृषि में उदार व्यापार में अपनी भागीदारी से हासिल होगा। ये निष्कर्ष बड़े पैमाने पर विश्व कृषि वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि पर आधारित है।
- सुब्रह्मयम के अध्ययन के अनुसार, भारत को लंबे समय तक विश्व की उच्च कीमतों से हासिल करना क्योंकि भारत भी कृषि व्यापार को उदार बनाता है।
- नेशनल कौनसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER 1997) का अनुमान है कि अगर कोई भारतीय कृषि व्यापार और विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के कुछ अनुभवजन्य और कुछ सैद्धांतिक विचारों को ध्यान में रखता है, तो भारतीय कृषि में लाभ गंभीरता से कम होगा अनुमानित किया गया ।
- रमेश चंद और लीनू मैथ्यु फिलीप के अध्ययन वर्ष 1995 में कुछ देशों द्वारा दिए गए कुल घरेलू समर्थन का अनुमान लगाया गया है। यूरोपीय आर्थिक संगठन तथा जापान में कुछ घरेलू समर्थन कृषि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद के 50 प्रतिशत से अधिक रहा है। अमेरिका में यह समर्थन 38 प्रतिशत तथा कनाडा में लगभग 25 प्रतिशत है। इसके विपरीत भारत में यह समर्थन मात्र 9 प्रतिशत है।

कृषि समझौता(Agreement on Agriculture)

कृषि समझौता, व्यापार इतिहास के सबसे जटिल समझौतों में से एक है। कृषि समझौते के जरिए कृषि उत्पादों को नियमित और नियंत्रित किया जाता है। कृषि आजीविका का मुख्य साधन है, इसलिए कृषि उदारीकरण से विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। विशेष रूप से विकासशील देशों में कृषि उत्पादन व्यवस्था ही यह तय करती है कि लोगों को आवश्यक भोजन मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। आबादी का एक बड़ा हिससा अपनी आजीविका के लिए निर्वाह खेती के साथ–साथ नकद फसलों के खेती पर भी आश्रित है। सबसे पहले मार्राकेश वार्ता के दौरान डब्ल्यू. टी. ओ.के ''फाइनल एक्ट'' दस्तावेज में कृषि से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया। कृषि समझौते को उरुग्वे वार्ता में और विस्तृत रूप दिया गया। विकासशील देशों ने इस शर्त पर इसलिए स्वीकार किया कि उन्हें विकसित देशों में अपने कृषि उत्पादों को बेचने के उचित अवसरदिये जायेंगे। सिर्फ उन किसानों ने इस कृषि समझौते का स्वागत किया जिन्हें ज्यादा व्यापार, बाजार में पहुँच और अधिक कीमतों से फायदा होने वाला था। पर हकीकत में किसानों के लिए उचित मूल्य मिलना और ज्यादा मुश्किल हो गया। समझौते से WTO के सिर्फ अमीर सदस्य देशों को ही फायदा हुआ, जिन्हें

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अपने कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत माल (processed goods) बेचने के लिए विकासशील देशों का बाजार मिल गया।

कृषि समझौते का मुख्य उद्देश्य व्यापार अवरोधों को दूर करना और कृषि को उचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर बढ़ाना है। कृषि में तीन मुख्य अवरोधक हैं– (क) बाजार में पहुँच, (ख) घरेलू समर्थन (सब्सिडी), और (ग) निर्यात प्रतिस्पर्धा (जिसमें निर्यात सब्सिडी।)

'बाजार में पहुँच' (Market Access)

'बाजार में पहुँच' का पता इस बात से लगता है कि कोई देश किस हद तक अपने बाजार में आयातित विदेशी उत्पादों को आने की अनुमति देता है। 'बाजार में पहुँच' को सीमित रख कर घरेलू उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से 'सुरक्षित' रखा जाता है। इसे करने के दो तरीके हैं – (क) प्रशुल्क (आयात कर); ओर (ख) गैर–प्रशुल्क, अवरोधों को लगा कर। कृषि उत्पादों के आयात को नियमित करने के लिए, आमतौर पर इन दोनों तरीकों (प्रशुल्क और गैर–प्रशुल्क) का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं संरक्षणवादी तरीकों को हटाने या नियमित करने के लिए 'बाजार में पहुँच' के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाता है।

'बाजार में पहुँच' के तहत निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं शामिल है:

- विकसित और विकासशील देशों को अपने सभी गैर–प्रशुल्क अवरोधों को सरल प्रशुल्कों में बदलना होगा।
- सभी प्रशुल्क बाध्यकारी और स्थायी होगें। इन्हें एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। उदाहरण के रूप में भारत अपने प्राथमिक कृषि उत्पादों (जैसे अनाज) पर 100 प्रतिशत, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (processed foods) पर 150 प्रतिशत और खाद्य तेल पर 300 प्रतिशत प्रशुल्क के लिए बाध्य है;
- कृषि समझौते के अनुसार, प्रशुल्कों में कटौती केवल बाध्यकारी दरों (Bound Tariff) में ही समभव है, प्रयुक्त दर (applied rate) में नहीं;
- विकसित देशों को अपने आयात प्रशुल्कों को 6 साल की अवधि में समान रूप से 36 प्रतिशत तक कम करना होगा– जिसमें किसी भी एक उत्पाद या प्रशुल्क–क्रम (Tariff line) को कम से कम 15 प्रतिशत घटाना होगा।
- विकासशील देशों को अपने आयात प्रशुल्कों को 10 साल की अवधि में समान रूप से 24 प्रतिशत तक कम करना होगा–जिसमें किसी भी एक उत्पाद या प्रशुल्क–क्रम को कम से कम 10 प्रतिशत घटाना होगा;
- कम विकसित देशों को अपने प्रशुल्क दरों को कम करने के लिए आमतौर पर किसी प्रतिबद्धता की जरूरत नहीं है, पर उन्हें भी अपने प्रशुल्क–क्रम को स्थिर रखना होगा।

घरेलू समर्थन (कृषि सब्सिडी)

सरकार द्वारा किसी कृषि उत्पाद के लिए या सामान्य रूप से दिए गए वार्षिक वित्तीय सहयोग को घरेलू समर्थन या 'सब्सिडी' कहते हैं। घरेलू समर्थन को चार अन्य वर्गों में बांटा गया है, (क) एम्बर बॉक्स या समर्थन के समस्त उपाय (Agreegate Measure of Support – AMS), जिसमें उत्पाद विशिष्ट (Product SPecific) और गैर–उत्पाद विशिष्ट (Non-Product Specific) समर्थन शामिल है; (ख) 'डि मिननिमिस' (de minimis) समर्थन; (ग) नीला बॉक्स (Blue Box) समर्थन, और (घ) हरा बॉक्स (Green box) समर्थन।

एम्बर बॉक्स (Amber box)– एम्बर बॉक्स सब्सिडी को व्यापार विकृत करने वाला और उत्पादन को प्रभावित करने वाला माना जाता है। इसलिए इसे कटौती प्रतिबद्धता के तहत रखा गया है। इन उपायों को अन्य WTO के सदस्यों द्वारा कानूनन चुनौती दी जा सकती है। कृषि समझौते के नियमों के अनुसार 'एम्बर बॉक्स या समर्थन के समस्त उपाय' (AMS) एक मौद्रिक अभिव्यक्ति है जो प्रत्येक वर्ष किसी कृषि उत्पाद के लिए बाजार मूल्य समर्थन के रूप में या गैर–उत्पाद समर्थन (जैसे सिंचाई, बिजली, लोन, खाद्य, बीज इत्यादि) के रूप में दिया जाता है। कुल AMS की उच्चतम सीमा को विकसित देशों के लिए उनके कुल कृषि उत्पादन (गैर–उत्पाद विशिष्ट समर्थन) का 5 प्रतिशत निश्चित किया गया है। विकासशील देशों के लिए यह सीमा 10 प्रतिशत की है। इसी प्रकार 'प्रत्येक कृषि उत्पाद' (उत्पाद विशिष्ट समर्थन) को AMS के अन्तरगत आने के लिए उत्पादन मूल्य का 5 प्रतिशत (विकसित देशों के लिए) और 10 प्रतिशत (विकासशील देशों के लिए) की सीमा से अधिक होना चाहिए, अन्यथा इसे डि मिनिमिस समर्थन माना जाएगा।

WTO में घरेलू समर्थन का उच्चतम स्तर बाध्यकारी है। उरुग्वे वार्ता के दौरान 131 में से 30 सदस्यों ने अपने AMS समर्थन की घोषणा की थी। बचे हुए 101 सदस्य देशों ने कहा कि वर्ष 1986–88 के मूल अवधि (Base period) में उन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया था या उनका AMS शून्य था। इसलिए इनके ऊपर कटौती प्रतिबद्धता लागू नहीं होती है। भारत भी इन्हीं देशों में से एक है।

जिन 101 सदस्य देशों ने (जिनमें अधिकतर विकासशील देश शामिल हैं) अपनी AMS की घोषणा नहीं की थी, उनके पास भविष्य में भी AMS का अधिकार नहीं है। वे केवल डि मिनिमिस स्तर तक ही समर्थन दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इन देशों के लिए उनका डी मिनिमिस स्तर ही वास्तविक ऊपरी सीमा है। वर्ष 2010–11 के आंकड़ों के अनुसार, भारत का कुल समर्थन 10 प्रतिशत की डि मिनिमिस सीमा से काफी कम था। इसलिए भारत के सामने इसे और कम करने की कोई बाध्यता नहीं है।

तालिका 1 : यूरोपीय संघ और अमेरिका के बाध्यकारी AMS और मौजूदा AMS

	यूरोपीय संघ (बिलियन यूरो में)		अमेरिका (बिलियन डॉलर में)	
वर्ष	कुल बाध्यकारी AMS	कुल मौजूदा AMS	कुल बाध्यकारी AMS	कुल मौजूदा AMS
1995	78.7	50.181	23.083	6.214
2000	67.2	43.909	19.899	16.843
2005	67.2	28.427	19.899	12.943

RRIJM 2015, All Rights Reserved

2010	67.2	6.502	19.899	4.120
2011	–	–	19.899	4.654

स्त्रोत : WTO अधिसूचना

नीला बॉक्स (Blue Box)–नीले बॉक्स सब्सिडी का आंकलन एक पूर्व अवधि के स्थाई उत्पादन आंकड़े पर आधारित होता है। नीले बॉक्स में मवेशी या भूमि के लिए जो अनुदान शामिल होता है वह उनकी कीमत से नहीं बल्कि निश्चित संख्या, क्षेत्रफल या उत्पादन से जुड़ा होता है। इस प्रकार अगर कोई समर्थन किसानों के उत्पादन को सीमित करता है तो विकसित देश उसे नीले बॉक्स में डाल देते हैं, भले ही वह एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्यों न हो। नीले बॉक्स का दूसरा उद्देश्य यह है कि देशों की एम्बर बॉक्स सब्सिडी को धीरे–धी हरे बॉक्स में बदलने के लिए प्रेरित करना और उन्हें सक्षम बनाना। क्योंकि नीले बॉक्स में शर्तें निहित हैं, इसलिए उनके ऊपर मात्रात्मक प्रतिबन्ध नहीं लगाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो देश जितना चाहे उतनी सब्सिडी नीले बॉक्स के तहत प्रदान कर सकते हैं।

तालिका 2 : अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत में नीले बॉक्स समर्थन

	भारत	अमेरिका (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)		यूरोपीय संघ (बिलियन यूरों में)		
वर्ष		मूल स्तर उत्पादन के 85 प्रतिशत या उससे कम पर भुगतान	कुल नीला बॉक्स	स्थाई क्षेत्र ओर उत्पादन के आधार पर भुगतान	मवेशियों के स्थाई संख्या पर भुगतान	कुल नीला बॉक्स
1995	शून्य	7.030	7.030	15.648	5.197	20.845
2000	शून्य	–	–	16.825	5.397	22.223
2005	शून्य	–	–	8.263	5.181	13.445
2010	शून्य	–	–	–	–	3.142

स्त्रोत : WTO अधिसूचना

हरा बॉक्स (Green Box) : यह सबसे ज्यादा विवादास्पद घरेलू समर्थन है, जिसका विकसित देशों, ने खासतौर से यूरोपीय संघ और अमेरिका ने बहुत दुरुपयोग किया है। हरे बॉक्स समर्थन को व्यापार विकृत करने वाला नहीं माना जाता है। इसे आर्थिक रूप से निष्पक्ष भी माना गया है। इसलिए इस पर कोई कटौती प्रतिबद्धता लागू नहीं होती।

हरे बॉक्स को कृषि समझौते के अनुलग्न 2 में सूचिबद्ध किया गया है। इन उपायों को इसीलिए प्रतिबद्धता से बाहर रख गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनसे उत्पादन प्रभावित नहीं होते हैं और होते भी हैं तो नहीं के बराबर।'हरा बाक्स' के अधीन वह आर्थिक सहायता रखी गई जो प्रर्यावरण संरक्षर्ण कार्यक्रमों के तहत दी जाती है; अनुसंधान, प्रशिक्षण इत्यादि सेवाओं पर सहायता; बाजार सूचना के लिए सहायता; ग्रामीण आधारिक संरचना के कुछ रूपों पर सहायता, इत्यादि। हरा बाक्स में शामिल गतिविधियों पर दी जाने वाला सहायता को कम करने की आवश्यकता नहीं है।

तालिका 3 : भारत की हरा बॉक्स सब्सिडी, विभिन्न श्रेणियों में (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष	सामान्य सेवा	खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक खाद्य भण्डारण	सीधा भुगतान	कुल हरा बॉक्स
1995–1996	398	1570	228	2196
2000–2001	86	2629	136	2851
2005–2006	488	5211	207	5907
2009–2010	776	12,282	4323	17,381
2010–2011	1124	13,812	4542	19,472

स्त्रोत : भारत द्वाराWTO को घरेलू समर्थन पर अधिसूचना

निर्यात सब्सिडी(Export Subsidy)

निर्यात सब्सिडी की मदद से सरकार से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके जरिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वहां के घरेलू बाजार की किमतों से कम दाम में माल के निर्यात में मदद की जाती है। इस प्रकार की सब्सिडी आमतौर पर विकासशील देशों के गरीब उत्पादकों और निर्यातकों के लिए नुकसानदेह होती है।

विकसित देशों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे सहायता प्रदत्त निर्यातों की मात्रा को 6 वर्ष की अवधि में 21 प्रतिशत तथा निर्यात सहायता के लिए बजट में (आधार 1986–90 के सापंक्ष) 36 प्रतिशत कटौती करेंगे। विकासशील देशों में सहायता प्रदत्त निर्यातों की मात्र को 10 वर्ष की अवधि में 10 प्रतिशत तथा निर्यात सहायता के लिए बजट में 24 प्रतिशत कटौती की व्यवस्था की गई है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

निर्यात सब्सिडी के कारण अन्य देशों के निर्यातकों को ज्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे उनके माल की कीमतें काफी गिर जाती हैं। इस प्रकार जो देश निर्यात सब्सिडी में समर्थ हैं वे गरीब देशों के कम–लागत वाले उत्पादकों के हाथ से सारा बाजार छीन लेते हैं।

तालिका–4 :चयनित देशों के लिए सब्सिडी का स्तर ($ मिलियन)

देश	साल	AMS	ब्ल्यू बॉक्स	ग्रीन बॉक्स	डे मिनिइमिस	निर्यात सब्सिडी
ईयू	1999 / 2000	47874	19,787	19,926	308	5968
यूएसए	1999	16862	0	49,749	7435	147
जापान	1999	6572	817	23,601	290	–
ब्राज़ील	1997 / 98	74	0	298	94	–
भारत	1997 / 98	0	0	75	98	–
पाकिस्तान	1999 / 2000	0	0	5	0	–

स्रोतः डब्ल्यूटीओ वार्षिक रिपोर्ट (2000–2001)

कृषि मुद्दो पर विश्व व्यपार संगठन में भारत की मांग–

- भारत अपने लोगों के खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक शेयर हेल्डिंग मुद्दे के स्थायी सामाधान के लिए ठोस रूपरेखा चाहता है।
- इसके अलावा भारत ने खाद्य सब्सिडी की गणना के लिए आधार वर्ष (1986) को भी बदलने क मांग की है।डब्ल्यूटीओ समझौते (एओए) के तहत, भारत जैसे विकासशील देश कृषि पर खाद्यान्न उत्पादन के कुल मूल्य का दस की सदी ही सब्सिडी दे सकते है, हालांकि, इस सब्सिडी की गणना वर्तमान कीमतों की बजार 1986 के आधार वर्ष की कीमतो के आधार पर की जाती है। वर्ष 1986–88 की कीमतो पर सब्सिडी की गणना के आधार पर, भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत दी जाने वाली सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के दस फीसदी की सीमा से अधिक हो जाती है इसलिए विकसित देशों ने इसे खत्म करने की मांग की है।लेकिन जब इसे वर्तमान मूल्य आधार पर सब्सिडी गणना करते है तो अमेरिका द्वारा दिए जाने वाली सब्सिडी अधिक होती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर (7.2 लाख करोड़ रूपये) की कृषि सब्सिडी देता है जबकि भारत उसकी तुलना में सिर्फ 12 बिलियम अमेरिकी डॉलर (72000 करोड़ रूपया) की कृषि सब्सिडी देता है।
- विकसित देशों द्वारा विकृति पैदा करने वाली सहायता को समाप्त करना ताकि सबके लिए प्रतिस्पर्धा का समान धरातल हो।
- विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा तथा आजीविका सुरक्षा के लिए तथा ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जाएं।
- विकासशील देशों के लिए आबद्ध दरों पर समग्र प्रशुल्क कटौतियां 36 प्रतिशत से अधिक न हो।
- विकसित देश हमेशा यह दावा करते है कि हरे बॉक्स सब्सिडी से व्यापार विकृत नहीं होता है। भारत जैसे विकासशील देशों ने हमेशा इसे संदेह की नजर से देखा है क्योंकि विकसित देशों की प्रवृत्ति हमेशा अपने व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी को एम्बर बॉक्स से हटाकर हरे बॉक्स में डालने की रही है। इसी वजह से विकासशील देश हमेशा यह मांग करते रहे हैं कि हरे बॉक्स सब्सिडी की परिभाषा कानूनी तौर पर स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए और इसका सख्ती से पालन होना चाहिए।

भारतीय कृषि व्यापार–

विश्व व्यापार संगठन की अवधि के बाद विकासशील देशों की कृषि के लिए सबसे बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय कृषि मूल्यों में अभूतपूर्व और अप्रत्याशित गिरावट के कारण था। भारत में आयात होने वाली मुख्य वस्तुओं में दालें, खाद्य तेल, ताजा फल और काजू हैं। भारत द्वारा जिन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, उनमें चावल, मसाले, कपास, मांस से बने खाद्य, चीनी इत्यादि शामिल हैं। पिछले कुछ दशकों में कुल आयात में कृषि आयात की हिस्सेदारी 1990–91 में 2.8% से बढ़कर 2014–15 में 4.2% हो गई है, जबकि कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 18.5% से घटकर 12.7% हो गई।

1996 के बाद अनाज, चीनी और कपास की कीमतों में गिरावट शुरु हुई और 2000 के पिछले 25 सालो में ऐतिहासिक स्तर पर लगभग निम्न स्तर पर पहुँच गई। वर्ष 2015–16 में कृषि उत्पादों के निर्यात में 24 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई । सबसे ज्यादा गेहूँ के निर्यात में 80 प्रतिशत की गिरावट आई है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकाश प्रधिकरण (एपीडा) के अनुसार 2015–16 के दौरान देश से कुल 85944 करोड़ रुपये के मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात जबकि 2014–15 के दौरान 120316 करोड़ रुपये के मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया था।

गेहूँ निर्यात के मामले में वर्ष 2015–16 बहुत ही खराब साबित हुआ इस साल गेहूँ के निर्यात में 71.92 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। एपीडा के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 के बीच 575943 टन गेहूँ 904 करोड़ में निर्यात किया गया जबकि अप्रैल 2014 से फरवरी 2015 में 2901716 टन गेहूँ 4953 करोड़ निर्यात किया गया था।

चावल के निर्यात के आंकड़े भी निराशा की ओर ले जाते हैं। साल 2015–16 में गैर बासमती चावल 57,15,927 टन चावल 13571 करोड़ रूपए में जबकि 2014–15 में 76,20,593 टन चावल 18,872 करोड़ रूपये मूल्य का निर्यात किया जाता था।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

तालिका : भारत में कृषि निर्यात (विलियन डॉलर में)			
वस्तुएं	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**
चावल	6.2	7.8	7.9
मीट और मीट से बने खाद्य	3.3	4.5	4.9
प्रोसेस्ड फूड्स	2.8	2.7	2.7
मसाले	2.8	2.5	2.4
खली	3.0	2.8	1.3
चीनी	1.6	1.2	0.9
गेहूँ	1.9	1.6	0.8
दालें	0.2	0.3	0.2
कृषि निर्यात	**32.0**	**33.0**	**30.1**

तालिका : भारत में कृषि आयात (बिलियन डॉलर में)			
वस्तुएं	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**
दालें	2.4	1.8	2.8
काजू	1.0	0.8	1.1
वनस्पिति तेल	9.9	7.2	10.6
ताजा फल	1.1	1.3	1.6
मसाले	0.5	0.6	0.7
चीनी	0.6	0.4	0.6
कोको उत्पाद	0.2	0.2	0.3
प्राकृतिक रबर	0.8	0.9	0.8
कृषि आयात	**16.8**	**14.9**	**15.9**

स्त्रोतः वार्षिक रिपोर्ट, वाणिज्य विभाग; पीआरएस।

भारत की व्यापार नीति वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता, उत्पादन की लागत और विश्व स्तर पर उसके मूल्य स्तर जैसे कई कारकों से प्रभावित होती है। हालांकि व्यापार नीति में निरंतर बदलावों जैसे आपूर्ति कम होने के कारण वस्तुओं के आयात शुल्क को कम करने या निर्यात बढ़ाने के लिए वस्तुओं के न्यूनतम निर्यात को मूल्य घटाने का कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत ने आर्थिक सुधार शुरू किया और धीरे–धीरे इसे बहुत उच्च टैरिफ और अन्य गैर–टैरिफ बाधाओं को खत्म कर दिया। एओए बाजार पहुंच के लिए बाधा को कम करके, घरेलू सहायता को कम करने और निर्यात सब्सिडी को सुव्यवस्थित करके कृषि में उदारीकरण के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा धक्का दे रहा है। लेकिन एओए के संबंध में विकसित देशों की प्रतिबद्धता गंभीर सीमाओं से पीड़ित है।

- विकसित देशों द्वारा टैरिफ दर कोटा का प्रशासन भी भेदभावपूर्ण था।
- विकसित देशों हरा बॉक्स, नीला बॉक्स और एम्बर बॉक्स आदि के माध्यम से अपने किसानों को भारी सब्सिडी और घरेलू समर्थन प्रदान कर रहे है ये समर्थन कृषि वस्तुओं क अंतराष्ट्रीय मल्यों में गिरावट के लिए जिम्मेदार है।
- विकसित देशों विकासशील देशो को कृषि निर्यात के लिए न्यूनतम बाजार पहुच प्रदान नहीं कर रहे है।
- विकसीत देश ने विकासशील देशों के कृषि निर्यात पर कई प्रकार के टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं लगाई थी।
- विकसित देश द्वारा विकासशील देशों की मांगों का मुकाबला करने के लिए बल श्रम और पर्यावरण संबंधी मुद्दों का मुद्दा उठाया है।

सुझाव–

- कृषि में निर्यात की क्षमता में तेजी लाने के लिए, भारत को संसाधन, बिजली संचार, विपणन, परिवहन और अन्य बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी।
- भारत विश्व व्यापार संगठन की विभिन्न वार्ता में विकासशील देशों के नेता बन गया है अपनी सौदेबाजी की स्थिति में सुधार करना चाहिए अपनी उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से कई कृषि वस्तुओं में अपनी प्रतिस्पर्धा में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। भारत को विकसित देशों के पक्ष में भेदभावपूर्ण प्रावधानों और प्रथाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठानी पड़ सकती है।

संदर्भ सूची–

- विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतराष्ट्रीय परिदृश्य, Current Affairs Internation News; Link http://tradeec.eurpe.e.u/dodib/press/indexcfm?id=1356.
- देश बन्धु Influercing public opinion since 1959, December 31; 2013, lik; http://www.deshbandhu.co.in/vichar.
- M.jagranjosh.com,अंतरराष्ट्रीय/विश्व करेंट अफेयर्स, July 26, 2014, Link, https://www.google.co.in/amp/m.jagranjosh.com/current_affairs/amp/
- School of open learning ((Campus of Open Learning) University of Delhi, 3 पाठ 3 भारत एवं विश्व व्यापार संगठन https://sol.du.ac.in/mod/bookview.php?id=1736&chapterid=1708
- भारतीय अर्थव्यवस्था (2009), 23rd Revised Edition: मिश्र, पूरी; Himalaya Publishing House, www.himpub.com.
- ITN (1999): "WTO Rule Against India in Import Rertrictions Dispute," India Today News Intement edition, April 8.
- NCAER (1997): India"s Agricultural Exports in the Post- Uruguay Round set up: Implications, Prospects and Policies, A report for the Ministry of Commerce, Government of India.